राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	3324/2024 झुंथाराम जाट	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, सीकर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, सीकर। 6. पीईईओ/प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाय ब्लॉक दांतारामगढ़, जिला सीकर।	14.11.2024	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
2.	3325/2024 जोधराज	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 6. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, नीमकाथाना। 7. पीईईओ/प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरीदास का बास, जिला नीमकाथाना।		

आदेश की दिनांक : 20.11.2024

समक्ष :– **शुचि शर्मा, सदस्य**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3324/2024 झुंथाराम जाट बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बोहरा

की ढाणी बाय ब्लॉक दातारामगढ़, जिला सीकर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा भर्ती प्रक्रिया अपनाते हुये अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्ति हुई थी। चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता से जुडी याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण अपीलार्थी का मुख्य वरियता सूची में चयन होने के बावजूद नियुक्ति नहीं दी गई। जबकि अन्य चयनित अभ्यर्थियों को अपीलार्थी से पूर्व नियुक्ति दे दी गई। जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ अभ्यर्थी थे और माननीय न्यायालय में निस्तारण पश्चात् अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.04.2001 से अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्ति दी गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी का मुख्य वरियता सूची में चयन होने के उपरांत भी नियुक्ति से वंचित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 18.04.2001 में उसका उल्लेख किया गया है कि चयनित अभ्यर्थियो को काल्पनिक लाभ दिये जायेंगे, उसके बावजूद भी अपीलार्थी को काल्पनिक लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को काल्पनिक लाभ आदि से वंचित रखा जाना नियम एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वर्ष 1999 से वरिष्ठता सहित काल्पनिक लाभ एवं समस्त सेवा लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बोहरा की ढाणी बाय ब्लॉक दातारामगढ़, जिला सीकर में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम

प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं नियुक्ति आदेश की शर्तों को ध्यान में रखते हुये तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित दोनों अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 3324/2024 झुंथाराम जाट बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 3325/2024 जोधराज में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य